Government of Himachal Pradesh
Department of Language, Art & Culture

7019
15/10/18

No. LCD- F (8) -1/2015 Dated: Shimla- 2 11th October 2018

NOTIFICATION

In supersession of this Department's Notification of even ***No. dated: March 20, 2017***, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Grant-in-aid scheme for worship/prayers and maintenance of the religious institutions through Revolving Fund" (Annexure- A) formulated by the Department of Language, Art & Culture.

By Order

Purnima Chauhan
Secretary (LAC) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst. No. As Above Dated Shimla-2 the 11th October 2018
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Private Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
2. The Private Secretary to the Chief Secretary, Himachal Pradesh.
3. The Private Secretary to the Addl. Chief Secretary -cum- Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh.
4. The Private Secretary to the Principal Private Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh.
5. Director (LAC), Himachal Pradesh. with the request to circulate the scheme among all Deputy Commissioners and District Language Officers
6. Director, Information and Public Relations, Himachal Pradesh.
7. All Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
8. All District Language Officers, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Rajesh Sharma)
Deputy Secretary (LAC) to the
Govt. of Himachal Pradesh

आवर्ती निधि से धार्मिक संस्थानों की पूजा–अर्चना एवं रख–रखाव हेतु अनुदान योजना

1 **उदेश्य :**

हिमाचल प्रदेश में धार्मिक संस्थानों की एक समृद्ध विरासत है। प्रदेश सरकार इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए कटिबद्ध हैं। विगत में प्रदेश के बहुत से मन्दिरों की अपनी भू–सम्पदा थी, जिससे प्राप्त आय का उपयोग धार्मिक संस्थानों के रख–रखाव व दैनिक पूजा–अर्चना इत्यादि के लिए किया जाता था। विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के कारण बहुत से धार्मिक संस्थानों की भू–सम्पदा मुजारों/सरकार में निहित होने के फलस्वरूप उनकी आय में भारी कमी आ गई है जिस कारण धार्मिक संस्थानों का रख–रखाव, यहां तक कि नियमित पूजा अर्चना भी वर्तमान में ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवर्ती निधि (Revolving Fund) का सृजन किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से रहेगा :–

(क) धार्मिक संस्थानों में नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाना ।

(ख) धार्मिक संस्थानों के रख–रखाव को ठीक करना ।

(ग) धार्मिक संस्थानों के रख–रखाव हेतु उनकी आय को बढ़ाना ।

2 **आवर्ती निधि का संचालन :**

निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, आवर्ती निधि की राशि को वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों के अनुसार सबसे अधिक ब्याज देने वाले राष्ट्रीयकृत/राज्य सहकारी बैंक में विभिन्न अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) खाता योजना में जमा करवाएंगे तथा इससे प्राप्त ब्याज की राशि का सदुपयोग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। इस प्रकार कुल प्राप्त ब्याज राशि से इस योजना में आने वाले धार्मिक संस्थानों को क्रमांक 3 के अनुसार वार्षिक या एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जा सकेगा। सावधि व बचत खातों का संचालन निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जाएगा।

3 **अनुदान के प्रकार :**

अनुदान दो प्रकार से दिया जा सकता है :–

(क) वार्षिक अनुदान :

धार्मिक संस्थानों के नित्य प्रति पूजा आदि को विधिवत चलाने व रख–रखाव करने हेतु प्रति वर्ष एक निश्चित राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।

या

(ख) परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान :

धार्मिक संस्थानों की आय बढ़ाने के लिए संसाधनों/परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा जिससे कि धार्मिक संस्थान आत्मनिर्भर हो सकें, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं:–

(1) खाली भूमि में, जिस पर इन संस्थानों को स्वामित्व प्राप्त है, सराय, दुकानें, पार्किंग, होटल इत्यादि बनाना।

(2) कोई भी ऐसा कार्य जो इन संस्थानों की निरन्तर आय का साधन हो सके

(जिन धार्मिक संस्थानों को एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा उनकी वार्षिक अनुदान की पात्रता समाप्त हो जाएगी।)

या

(ग) मन्दिर की सुरक्षा हेतु उपकरणों का प्रावधान :

सीसीटीवी केमरे तथा रिकॉर्डिंग सिस्टम/ उपकरण आदि की खरीद हेतु अधिकतम रुपये 1.00 लाख की राशि एक मुश्त अनुदान की भांति केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

(जिन धार्मिक संस्थानों को सुरक्षा उपकरणों की खरीद हेतु एकमुश्त

अनुदान दिया जाएगा वह वार्षिक अनुदान लेने के लिए चार वर्ष के उपरान्त पुनः पात्र होंगे।)

4 **पात्रता :**

(क) आवर्ती निधि से अनुदान प्राप्त करने के लिए वही धार्मिक संस्थान पात्र होंगे, जिनकी भूमि विभिन्न भू–सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत मुजारों/सरकार में निहित हुई है।

(ख) अपवर्जन :

'हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान वं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984' की अनुसूची–1 में शामिल मन्दिर

तथा

'हिमाचल प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम,1976' के तहत राज्य संरक्षित स्मारक

तथा

'प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्त्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958' के तहत केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

तथा

निजी स्वामित्व वाले धार्मिक संस्थान अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

(ग) धार्मिक संस्थान की जिस भूमि का अधिग्रहण हुआ है और यदि उसका मुआवजा धार्मिक संस्थान को मिल चुका है, वह भूमि, इस अनुदान योजना के तहत गणना में नहीं ली जाएगी।

✓(घ) धार्मिक संस्थान जिन्होंने अपने स्तर पर ही आय संसाधन बढ़ाने हेतु (सराय, दुकान अथवा पार्किंग या अन्य कोई निर्माण) का कार्य शूरू कर रखा है/कर रखा था तथा धन के अभाव के कारण अधूरा पढ़ा है वह भी इस परियोजना में अनुदान के पात्र होंगे। अन्य विभागीय परियोजनाओं से सहायतानुदान लेने वाले धार्मिक संस्थान इस योजना में भी सहायतानुदान

हेतु पात्र होंगे।

5 **प्रक्रिया :**

पात्र धार्मिक संस्थान के अध्यक्ष अथवा कारदार, निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्रों पर अपेक्षित दस्तावेज़ों सहित प्रकरण सम्बन्धित ज़िला भाषा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे :–

(1) वार्षिक अनुदान प्राप्त करने हेतु :

(क) प्रथम बार अनुदान प्राप्त करने हेतु :

(1) आवेदन (प्रपत्र–1)

(2) विहित हुई भूमि का विवरण (प्रपत्र–2)

(3) भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा, जिस पर धार्मिक संस्थान अवस्थित है।

(4) धार्मिक संस्थान के चारों ओर से खींचे गए चार रंगीन स्पष्ट छायाचित्र, जो कि कम से कम 5X7 इंच के हों और जिनमें कि धार्मिक संस्थान के भवन की दाएं से बाएं व ऊपर से नीचे तक की छवि स्पष्ट होती हो।

(5) कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

(ख) उसके बाद हर वर्ष अनुदान प्राप्त करने हेतु :

(1) विगत वर्ष में दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–3)

(2) आवेदन (प्रपत्र–1)

(3) पूर्व प्रदत्त अनुदान के उपयोग जांचने हेतु संस्था को जिला भाषा अधिकारी के समक्ष सत्यापन के लिए, मूल वाउचरज़ व उनकी सत्यापित छाया प्रतियां तथा कैश बुक प्रस्तुत की जाएंगी। इन दस्तावेजों के संतोषजनक पाए जाने के उपरांत ही जिला भाषा अधिकारी अगले वर्ष अनुदान प्रदान करने हेतु

संस्तुति करेंगे।

(4) कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र अथवा दस्तावेज जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

(5) विभाग किसी भी धार्मिक संस्थान को हर वर्ष अनुदान प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है। यह आवर्ती निधि में उपलब्ध राशि तथा इस योजना में समय–समय पर होने वाले संशोधनों पर निर्भर होगा।

(6) अनुदान 'पहले आओ–पहले पाओ' आधार पर दिया जाएगा।

(7) यदि विभाग यह समझता है कि धार्मिक संस्थान वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर है या अब आत्म निर्भर हो गया है तो उसे अनुदान देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(8) यदि किसी आवेदक संस्था ने अभी तक कैश बुक व वाउचरज सहेजने की लेखा प्रणाली नहीं अपनाई है, तो उसे केवल प्रथम बार आवेदन करते हुए इस बारे छूट मिलेगी परंतु उसके उपरांत उसे यह लेखा प्रणाली अपनी संस्था में तुरंत प्रभाव से चालू करनी होगी तभी उसे अगली बार यह अनुदान मिल पाएगा।

(2) <u>परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने के लिए</u>

<u>:–</u>

(क) एकमुश्त अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी :–

(1) आवेदन (प्रपत्र–1)

(2) विहित हुई भूमि का विवरण (प्रपत्र–2)

(3) भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा जिस पर धार्मिक संस्थान अवस्थित है।

(4) भूमि की नकल जमाबंदी व अक्स ततीमा जिस पर धार्मिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य (सराय अथवा दुकानें अथवा पार्किंग या अन्य कोई निर्माण) प्रस्तावित है। यह भूमि

धार्मिक संस्थान की होनी आवश्यक है।

(5) प्रस्तावित निर्माण/शेष बचे हुए कार्य की ड्राईंग्ज़ व प्राक्कलन की चार प्रतियां।

(6) धार्मिक संस्थान के चारों ओर से खींचे गए चार रंगीन स्पष्ट छायाचित्र, जो कि कम से कम 5X7 इंच के हों और जिनमें कि धार्मिक संस्थान के भवन की दाएं से बाएं व ऊपर से नीचे तक की छवि स्पष्ट होती हो। प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए चिन्हित भूमि के छाया चित्र/शेष बचे हुए कार्य के छाया चित्र

(7) छायाचित्र सत्यापन व अन्य प्रमाणपत्र प्रपत्र–4 पर पटवारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र

(8) प्रस्तावित संरचना के लिए प्रपत्र–5 पर पंचायत द्वारा जारी अन्नापत्ति प्रमाणपत्र

(9) कोई अन्य ऐसा प्रमाणपत्र जो कि प्रकरण की जांच के दौरान अथवा उपरांत, विभाग की संतुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो, मांगा जा सकता है।

(10) प्रस्तावित निर्माण संरचना व धार्मिक संस्थान के प्राक्कलन व ड्राईंग्ज चार–चार प्रतियों में। खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए हुए ही प्राक्कलन एवं ड्राईंग स्वीकार्य होंगे।

(11) अनुदानग्राही को प्रपत्र–8 के अनुसार अनुदान सम्बंधी वचन/शपथ पत्र देना होगा।

(ख) एकमुश्त अनुदान हेतु प्रक्रिया :

(1) सम्बंधित जिला भाषा अधिकारी प्राप्त प्रकरणों की नियमानुसार जांच पड़ताल कर अपनी संस्तुति सहित नियमित रूप से निदेशालय को भेजेंगे।

(2) विभाग के अभियांत्रिकी प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया जाएगा।

(3) विभाग के पुरातत्त्व प्रभाग द्वारा प्रकरणों का निरीक्षण किया

जाएगा और स्थल का निरीक्षण भी कर सकते हैं तथा जो भी संशोधन आवश्यक हो, तीन मास के भीतर सूचित करेंगे। प्राक्कलन को पुरातत्त्व अभियन्ता अपने स्तर पर औचित्य सहित घटा अथवा बढ़ा भी सकेंगे और तत्सम्बंधी प्रस्ताव अनुवीक्षण समिति के समक्ष भी रख सकते हैं।

(4) सभी प्रकार के प्रकरणों में सहायतानुदान की अधिकतम राशि सामान्यतः रूपये 25 लाख होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में जिला भाषा अधिकारी की विशेष अनुशंसा जो कि उपायुक्त द्वारा पुनरीक्षित हो, तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सीमा से अधिक अनुदान दिया जा सकता है।

(5) वित्तीय वर्ष के प्रत्येक अप्रैल मास में, निम्नलिखित अनुवीक्षण समिति प्राप्त सभी प्रकरणों (वार्षिक अथवा एकमुश्त) की जांच कर उनकी समीक्षा करेगी और प्रत्येक प्रकरण पर नियमानुसार अनुदान राशि की संस्तुति करेगी। :–

1. निदेशक	अध्यक्ष
2.अतिरिक्त / संयुक्त निदेशक	सदस्य
3. संग्रहालयाध्यक्ष–I	सदस्य
4. पुरातत्त्व अभियन्ता	सदस्य
5. अधीक्षक–I	सदस्य
6. सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी	सदस्य
7. कनिष्ठ अभियंता / अतिरिक्त सहायक अभियंता (निदेशालय)	सदस्य सचिव

(6) इसके उपरांत प्रकरणों का निपटान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :

(1) दस लाख तक के प्रकरण निदेशक भाषा–संस्कृति विभाग स्वीकृत करेंगे।

(2) रुपये दस लाख से अधिक राशि वाले प्रकरण सरकार को स्वीकृत्यार्थ भिजवाए जाएंगे।

(3) अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा :

(1) 50 प्रतिशत अनुदान की मांग स्वीकृति होने पर

(2) शेष 50 प्रतिशत आधा कार्य पूर्ण होने पर

(3) जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष भर में कार्य अवधि कम होने के कारण यह अनुदान एकमुश्त दिया जा सकेगा।

(7) विभाग द्वारा स्वीकृत राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि धार्मिक संस्थान के आवेदक को जन–सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी ।

(8) सहायतानुदान राशि सम्बंधित उपायुक्त के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी को प्रदान की जाएगी, जो इस राशि को आवेदक को कार्य की प्रगति व आवश्यकतानुसार जारी करेंगे। ऐसे प्रत्येक स्वीकृत मामले में अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति व स्वीकृति पत्र की प्रति सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी तथा आवेदक को पृष्ठांकित की जाएगी। खण्ड विकास अधिकारी को स्वीकृति की प्रति प्राक्कलन की अनुमोदित प्रति सहित भेजी जाएगी।

(9) निर्माण कार्यों का निष्पादन आवेदक संस्था सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता के पर्यवेक्षण में करेगी। निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनके निर्माण कार्य सम्बंधी संहिता, नियमावली तथा हि.प्र. सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों (Works Code, Manaul & the instructions issued by the H.P. Govt. from time to time) के अनुरूप किया जाएगा।

(10) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता, भाषा–संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि मंदिर आवेदक,

अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं करता है तो वह सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी व उपमण्डलाधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करेंगे और उसकी एक प्रति अविलम्ब इस विभाग को भी भेजेंगे। इसके उपरांत इस विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और सचिव (भाषा–संस्कृति) इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।

(11) यदि आवेदक द्वारा अनुदान नियमों की अवहेलना पाई जाएगी तो उसे सारी राशि ब्याज सहित एक–मुश्त लौटानी होगी।

(12) निर्माण कार्य को समय–समय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को देखने की खुली छूट होगी। ये अधिकारी चल रहे कार्य में परिवर्तन भी मन्दिर समितियों को बतायेंगे, जो मन्दिर समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान की रिपोर्ट छायाचित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा।

(13) अनुदान की राशि, एक वर्ष के भीतर व्यय करनी होगी अन्यथा भाषा विभाग ऐसी राशि को ब्याज सहित एक–मुश्त वापस लेने का हकदार होगा ।

(14) निदेशक अपनी संतुष्टि पर इस अवधि को, विशेष कारणों को देखते हुए एक वर्ष तक और बढ़ाने में सक्षम होंगे ।

(15) धार्मिक संस्थान समिति द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र (प्रपत्र–7) प्रस्तुत करना होगा।

(16) प्रत्येक अनुदानग्राही संस्था को विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान की निम्नलिखित सूचना धार्मिक संस्थान अथवा पुरातन स्मारक के पास साईन बोर्ड लगा कर प्रदर्शित करनी आवश्यक रहेगी :

- ❖ कार्य का पूर्ण नाम
- ❖ स्वीकृत राशि
- ❖ स्वीकृति वर्ष
- ❖ अनुदान प्रदाता विभागः भाषा–संस्कृति विभाग,(हि०प्र०)
- ❖ कार्य आरंभ की तिथि

❖ कार्य समाप्ति की तिथि

(17) धार्मिक संस्थान को आवर्ती निधि से प्राप्त अनुदान (वार्षिक अनुदान/हर वर्ष अनुदान एवं परिसम्पतियों के सृजन हेतु एक मुश्त अनुदान) की धन राशि के उपयोग हेतु एक अलग बैंक खाता संचालित करना होगा जिसकी अलग से कैश बुक लगाई जाएगी व अनुदान से सम्बन्धित व्यय के समस्त वाऊचरों का संकलन कर सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी से सत्यापित करवाने होंगे। (प्रपत्र–3 ख)

6 **अनुदान राशि निर्धारण :**

(1) अप्रैल मास में पिछले वित्त वर्ष में बैंक में जमा आवर्ती निधि पर प्राप्त कुल ब्याज से सहायतानुदान प्रदान किया जाएगा।

(2) इस ब्याज राशि का कम से कम 70%, वार्षिक अनुदान वाले प्रकरणों के लिए सुरक्षित रहेगा।

(3) शेष 30% से एकमुश्त अनुदान के प्रकरणें पर विचार किया जाएगा।

(4) यदि प्रकरणों की अधिकता व धन की अल्पता के कारण एकमुश्त वाले प्रकरणों पर उस वर्ष अनुदान नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें उस वर्ष वार्षिक सहायतानुदान दिया जाएगा और यह तब तक मिलता रहेगा, जब तक उस धार्मिक संस्थान को एकमुश्त अनुदान नहीं मिलता है। एकमुश्त अनुदान वाले प्रकरणों की प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी और इसमें 'पहले आओ–पहले पाओ' आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

(5) परन्तु क्रमांक 2 व 3 के अधिक्रमण में विभाग वार्षिक एवं एक मुश्त अनुदान हेतु प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों में अद्यतन व्यय स्थिति (अनुमोदित वार्षिक/एकमुश्त अनुदान के प्रकरणों की संख्या) के अनुपातानुसार अपने स्तर पर 70% तथा 30% राशि को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा कर बटवारा कर सकेगा।

(क) वार्षिक अनुदान का निर्धारण :

वार्षिक अनुदान का आधार, मुजारों अथवा सरकार में निहित भूमि (इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी, जिसका मुआवजा मिल

चुका है।) की मात्रा के आधार पर होगा। ✓

वार्षिक अनुदान की राशि निम्नलिखित प्रकार से जारी की जाएगी :–

क्र० सं०	निहित हुई कुल भूमि (इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी, जिसका मुआवजा मिल चुका है।)	वार्षिक अनुदान (रुपये)
1	10 बीघा तक	10,000
2	10 से अधिक तथा 50 बीघा तक	15,000
3	50 से अधिक तथा 100 बीघा तक	20,000
4	100 बीघा से अधिक	25,000

(ख) परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान :

एकमुश्त अनुदान वाले प्रकरणों में निदेशक द्वारा पुरातत्त्व प्रभाग के अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन की तकनीकी रूप से निरीक्षित राशि के 75 प्रतिश्त से अधिक नहीं दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा सामान्यतः रूपये 25 लाख से अधिक नहीं होगी तथापि यदि यह राशि अपर्याप्त हो तो अपवादात्मक परिस्थितियों में जिला भाषा अधिकारी की विशेष अनुशंसा जो कि उपायुक्त द्वारा पुनरीक्षित हो, तत्सम्बंधी कारणों का उल्लेख करते हुए व प्राक्कलन तथा औचित्य सहित कार्य की आवश्यकता के अनुसार इस सीमा से अधिक अनुदान दिया जा सकता है।

विभाग द्वारा स्वीकृत राशि तथा प्रस्तावित कार्य पर व्यय होने वाली कुल राशि की शेष राशि आवेदक को जन–सहभागिता के रूप में सुनिश्चित करनी आवश्यक होगी।

7 वार्षिक अनुदान के व्यय की मदें :

(1) पात्र धार्मिक संस्थानों को अनुदान राशि मुख्यतः पूजा–अर्चना एवं रख–रखाव के लिए ही दी जाएगी। धार्मिक संस्थानों में प्रचलित प्रथानुसार पूजा–अर्चना सामग्री के क्रय हेतु अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थान के रख–रखाव के लिए भी

अनुदान राशि का उपयोग किया जा सकेगा। रख–रखाव में धार्मिक संस्थान की साफ–सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था, छुट–पुट मुरम्मत इत्यादि सम्मिलित होंगे।

(2) धार्मिक संस्थान अथवा उसके परिसर में बड़ी मुरम्मत अथवा किसी भी तरह का सरंचनात्मक फेरबदल व पुनर्निर्माण कार्य, रख–रखाव में सम्मिलित नहीं होगा।

(3) अनुदान राशि का उपयोग किसी भी कर्मचारी की नव नियुक्ति या वर्तमान में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन अथवा भत्तों की अदायगी के लिए नहीं किया जाएगा।

(4) अनुदान राशि का उपयोग भण्डारे, प्रतिष्ठा, यज्ञ इत्यादि के लिए नहीं किया जाएगा।

✓(5) पारम्परिक पूजा पद्धति के अनुरूप (धार्मिक उत्सवों/ धार्मिक अनुष्ठानों/धार्मिक पूजा में होने वाला व्यय) को भी मन्दिर के व्यय में शामिल किया जा सकेगा।

8 **अवधि :**

धार्मिक संस्थान की पूजा–अर्चना एवं रख–रखाव के लिए अनुदान राशि, वर्ष में केवल एक बार ही देय होगी। प्रत्येक धार्मिक संस्थान को हर वित्तीय वर्ष के अप्रैल मास में इस योजना में प्राविधित औपचारिकताओं को पूर्ण करके अनुदान हेतु प्रकरण विभाग को भिजवाना होगा।

9 **उपयोगिता प्रमाण पत्र :**

(क) वार्षिक अनुदान के प्रकरण में :–

(1) अनुदानग्राही धार्मिक संस्थान को प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र–3(क), (ख)) तीन प्रतियों में सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी के पास सत्यापित कर देना होगा जिसे कि जिला भाषा अधिकारी दो प्रतियों में निदेशालय को भिजवाएंगे और भविष्य संदर्भ हेतु एक प्रति अपने पास सहेज कर रखेंगे। उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयोग के वाउचरज की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जो कि संस्था के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

(2) किसी भी धार्मिक संस्थान को जब प्रथम बार इस वार्षिक योजना के तहत अनुदान स्वीकृत हो जाएगा, उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष के अप्रैल मास में मन्दिर प्रबन्धन द्वारा जिला भाषा अधिकारी के समक्ष, प्रपत्र–1 के साथ धार्मिक संस्थान का पिछले वित्त वर्ष का आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण, बिल–वाउचर व कैश बुक सहित प्रस्तुत करना होगा व इसके साथ पिछले वर्ष में जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। जिला भाषा अधिकारी इन दस्तावेजों की जांच कर, अपनी संतुष्टि के उपरांत, प्रकरण निदेशालय को स्वीकृत्यार्थ भिजवाएंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) धार्मिक संस्थान की समिति को संस्था की पूरी आय व व्यय का विवरण एक कैश बुक में दर्ज करना होगा व समस्त बिल/वाउचरज सहेज कर रखने होंगे, जिसका निरीक्षण/ सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी/विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय पर किया जा सकता है।

(ख) <u>परिसम्पत्तियों के निर्माण वाले प्रकरणों में</u> :–

(1) आधा कार्य हो जाने पर इस तथ्य हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्र, प्रपत्र–6 पर विभाग को भेजा जायेगा, जो कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(2) इस निर्धारित प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, दूसरी/अंतिम किस्त जारी कर दी जायेगी।

(3) आवेदक को प्रदत्त कुल अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, (प्रपत्र–7) तीन प्रतियों में सम्बन्धित उपायुक्त से सत्यापनोपरांत, निदेशक(भाषा–संस्कृति) को भेजना होगा। आवेदक को उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ प्रदत्त अनुदान के उपयोग के वाउचरज की छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जो कि आवेदक द्वारा सत्यापित होंगी, जिसके आधार पर ही अनुदान का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।

सभी वाउचरज कैश बुक में दर्ज होने चाहिएं तथा सहेज कर रखे

जाने चाहिएं, जिसका निरीक्षण अथवा सत्यापन सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी अथवा विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी समय पर किया जा सकता है।

10 **निरीक्षण एवं नियम उल्लंघना :**

(क) परिसम्पतियों के निर्माण कार्य को समय–समय पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को देखने की खुली छूट होगी। ये अधिकारी चल रहे कार्य में आवश्यक परिवर्तन भी आवेदक समितियों को बतायेंगे, जो आवेदक समितियों को मान्य होगा। निरीक्षण अधिकारी, प्रत्येक निरीक्षित धार्मिक संस्थान की रिपोर्ट छाया चित्रों सहित तुरंत निदेशालय को भेजेगा। विभाग के कनिष्ठ अभियंता/संरक्षण सहायक आवश्यकतानुसार हर अनुदान प्राप्त धार्मिक संस्थान का निरीक्षण करेंगे तथा पुरातत्त्व अभियंता नमूना–जांच (Test Check) के तौर पर 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।

(ख) सहायतानुदान प्राक्कलन की जिन कार्य मदों के लिए दिया गया है उसी पर खर्च किया जाना होगा। ऐसा न करने पर सारी राशि ब्याज सहित वापस ली जा सकेगी।

आवेदन प्रपत्र

1	धार्मिक संस्थान का नाम व पूरा पता	नाम ..... डाकघर ..... तहसील ..... जिला	गांव ..... पंचायत ..... विकास खण्ड ..... उपमण्डल ..... पिन कोड .....
2	धार्मिक संस्थान का प्रबन्धन	समिति का नाम	
3	क्या धार्मिक संस्थान किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है: यदि हां तो सूचना दें।	1 नाम ..... 2 पंजीकरण संख्या: ..... (जिस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, अंकित करें) 'सभायें पंजीकरण अधिनियम, 1860' या हि.प्र0 सभाएं पंजीकरण अधिनियम, 2006 या 'भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882' (संविधान व पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)	
4	प्रबन्धक समिति के मुखिया का	नाम ..... पूरा पता ..... टैलीफोन / मोबाईल नम्बर :	
5	धार्मिक संस्थान का इतिहास, महत्त्व, जनश्रुतियां	(अलग से संलग्न करें)	
6	धार्मिक संस्थान से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना	(अलग से संलग्न करें)	

7	क्या विभाग द्वारा पूर्व प्रदत्त अनुदान राशि का जिला भाषा अधिकारी द्वारा सत्यापित उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	हां / नहीं	
8	धार्मिक संस्थान की प्रबन्धन समिति द्वारा आवर्ती निधि से सम्बन्धित / संचालित बैंक खाता विवरण :	बैंक का नाम : बैंक शाखा का पता : बैंक खाता संख्या : IFS Code संख्या : (बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ जिसमें अकाउंट सम्बंधी समस्त जानकारी अंकित हो, की स्पष्ट छाया प्रति लगाएं)	
10	मन्दिर की वार्षिक आय (नकद चढ़ावा व अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त आय का पूर्ण विवरण अलग से लगाएं।	वार्षिक नकद चढ़ावा (विभागीय अनुदान राशि सहित)	रु
		बची हुई भूमि तथा अन्य सभी स्रोतों / सम्पत्ति से प्राप्त वार्षिक नकद आय का पूर्ण विवरण	रु
		कुल वार्षिक नकद आय	रु
11	मन्दिर का वार्षिक खर्च	(पूर्ण विवरण अलग से लगाएं इसमें भण्डारे / लंगर का खर्च शामिल न हो) धार्मिक उत्सवों / अनुष्ठानों / धार्मिक पूजा में होने वाला व्यय	रु
12	मन्दिर की वार्षिक शुद्ध आय (10–11)		रु
13	धार्मिक संस्थान की कुल सम्पत्ति	चल (नकदी, आभूषण इत्यादि अन्य चल सम्पत्तियों का अलग से विवरण लगाएं) अचल (भूमि व भवनों का अलग से विवरण लगाए)	
मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि प्रपत्र में दी गई उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान अनुसार			

सही है।	
स्थान	हस्ताक्षर
तिथि	नाम .....
दूरभाष (कोड सहित)	पदनाम .....
मोबाईल नम्बर	पूरा पता .....
आधार नम्बर	संस्था की मोहर भी लगाएं

जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश

मैं ..... जिला भाषा अधिकारी, जिला..... प्रमाणित करता/करती हूं, की उपरोक्त प्रकरण विभागीय योजना के अनुसार सही पाया गया है। अतः मैं प्रकरण निरीक्षणोपरान्त अनुदान राशि जारी करने की संस्तुति करता/करती हूं।

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर

जिला भाषा अधिकारी

जिला .....

भाषा एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश। (मोहर सहित)

धार्मिक संस्थान की मुजारों/सरकार में विहित हुई भूमि का विवरण

(इसमें उस भूमि को शामिल न किया जाए जिसका मुआवजा दिया जा चुका हो)

धार्मिक संस्थान का नाम ..... मौजा.....

परगना.....तहसील.....जिला.....हि.प्र.

क्र० सं०	विवरण	भूमि का क्षेत्रफल	ईकाई (बीघे/ कनाल/ हैक्टेयर)
हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन एवं भू–सुधार अधिनियम, 1953			
1	उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व धार्मिक संस्थान की भूमि	.....–.....–.... ..	
2	उक्त अधिनियम के तहत मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमि	.....–.....–.... ..	
3	उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के उपरान्त धार्मिक संस्थान के पास बची हुई भूमि (1–2=3)	.....–.....–.... ..	
हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू–सुधार अधिनियम, 1972			
4	उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व धार्मिक संस्थान की भूमि (=3)	.....–.....–.... ..	
5	उक्त अधिनियम के तहत मुजारों/सरकार में निहित की गई भूमि	.....–.....–.... ..	
6	उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के उपरान्त धार्मिक संस्थान के पास बची हुई भूमि (4–5=6)	.....–.....–.... ..	
हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972			
7	उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व धार्मिक संस्थान की भूमि (=6)	.....–.....–.... ..	
8	उक्त अधिनियम के तहत सरकार में निहित की गई भूमि	.....–.....–.... ..	
9	उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के उपरान्त धार्मिक संस्थान के पास बची	.....–.....–....	

	हुई भूमि (7–8=9)	..	

सत्यापित किया जाता है कि :–

1 उपरोक्त विवरण, राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

2 श्री..... जिन्होंने कि इस अनुदान प्रकरण के लिए बतौर ..... (कारदार/संस्था अध्यक्ष) आवेदन किया हुआ है, ही इस धार्मिक संस्थान के, सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए, वैध आवेदक हैं।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी का नाम..... मोहर सहित	तहसीलदार का नाम..... मोहर सहित

वार्शिक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धार्मिक संस्थान .....गांव .....डाकघर ..... तहसील.....जिला .... के लिए स्वीकृत अनुदान राशि ..... वर्ष .... के दौरान अनुदान के रूप में विभाग के पत्र संख्या .... दिनांक ..... के अधीन मन्दिर के पूजा–अर्चना एवं रख–रखाव तथा सी.सी.टी.वी. के क्रय/रखरखाव प्रयोजन के उद्देश्य के लिए उपयोग की गई जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।

स्थान ..... हस्ताक्षर .....

तिथि ..... पदनाम .....

पूरा पता .....

संस्था के अध्यक्ष/कारदार की मोहर

प्रमाणित किया जाता है कि :

1) मैंने इससे सन्तुष्ट हूं कि जिन कार्यों के लिए अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी पूर्ण कर ली गई हैं।

2) मैंने यह देखा है कि धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए स्वीकृत किया गया था।

हस्ताक्षर

स्थान

नाम .....

दिनांक

जिला भाषा अधिकारी

जिला .....

भाषा एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश।

(मोहर सहित)

जिला भाशा अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धार्मिक संस्थान .....गांव .....डाकघर..... तहसील..... जिला .... के लिए स्वीकृत अनुदान राशि ..... वर्ष .... के दौरान अनुदान के रूप में विभाग के पत्र संख्या ....दिनांक ..... द्वारा प्रदान की गई थी के सन्दर्भ में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/संस्था .....ने कैश बुक तथा मूल वाऊचर सहेजने की लेखा प्रणाली अपना ली है तथा मैं इनके लेखा प्रणाली से संतुष्ट हुँ। कैश बुक तथा मूल वाऊचर की छाया प्रतियां मेरे द्वारा भविष्य सन्दर्भ हेतु सहेज ली गई हैं।

हस्ताक्षर

स्थान

नाम .....

दिनांक

जिला भाषा अधिकारी

जिला .....

भाषा एवं संस्कृति विभाग

हिमाचल प्रदेश।

(मोहर सहित)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल का नाम) मौजा.....परगना.....तहसील.....जिला..... के खसरा नम्बर..... में बना हुआ है, जिसका फोटो नीचे चिपकाया गया है इस धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल के सम्बंध में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (जो लागू न हो उसे काट दें):–

1) उपरोक्त खसरा नम्बर आबादी देह/मिलकीयत का नम्बर है।

2) उपरोक्त धार्मिक संस्थान/स्मारक किसी की निजी सम्पत्ति न हो कर सार्वजनिक सम्पत्ति है।

3) इस धार्मिक संस्थान की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है अतः इसकी आय बढाने के लिए प्रस्तावित .....निर्माण कार्य हेतु अनुदान मिलना उचित है ।

4) उपरोक्त निर्माण, इस धार्मिक संस्थान की भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है ।

5) प्रमाणित किया जाता है कि ..... (धार्मिक संस्थान/स्मारक /स्थल का नाम) तथा धार्मिक संस्थान/स्मारक/स्थल का प्रस्तावित निर्माण कार्य(सराय अथवा दुकान अथवा पार्किंग या अन्य कोई निर्माण) एक ही खसरा नम्बर ..... मौजा ..... परगना .....तहसील .... जिला ..... पर स्थित हैं अथवा प्रस्तावित निर्माण कार्य खसरा न0..... मौजा..... परगना.....तहसील.....जिला..... पर स्थित है जो कि धार्मिक संस्थान की ही भूमि है।

यहां फोटो चिपकाएं

(हस्ताक्षर का कुछ भाग छायाचित्र व कुछ भाग इस पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए)

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर(पटवारी) .....

(नाम) .....

(मोहर सहित)

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि..... (देवी / देवता का नाम) धार्मिक संस्थान, गांव ..... परगना ..... तहसील ..... जिला .....की भूमि 'भूमि सुधार अधिनियम' के तहत मुजारों को चली गई है । अतः अब इस धार्मिक संस्थान की दैनिक पूजा तथा अन्य कार्यकलापों के लिए होने वाला व्यय निकाल पाना कठिन हो रहा है। अतः धार्मिक संस्थान की आय बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ..... निर्माण कार्य तथा इसके निर्माण स्थल पर इस पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है और पंचायत इनके इस प्रस्ताव का समर्थन करती है ।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर (पंचायत प्रधान).....

मोहर सहित

दूसरी किस्त जारी करने के लिए प्रमाण–पत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

1 प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन नियमों के अनुसार .... धार्मिक संस्थान को रुपये ..... का सहायतानुदान स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इन्होंने अपना आधा कार्य पूर्ण कर लिया है ।

2 संस्था द्वारा कृत कार्य प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर हुआ है ।

3 मैंने स्वयं देखा है ।

4 मेरा निवेदन है कि उसी के शेष बचे कार्य के लिए, इन्हें अनुदान की दूसरी किस्त, जो कि रुपये ..... बनती है, को जारी कर दिया जाए ।

(.....)नाम
कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड

(.....)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

उपयोगिता प्रमाणपत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

कृपया पत्र संख्या ---------- दिनांक ---------- राशि ---------- प्रमाणित किया जाता है कि ---------- मात्र की स्वीकृति सहायतानुदान राशि से वर्ष के दौरान ---------- के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या ---------- तथा हाशियों में दी गई तिथि के अधीन रुपये ---------- की राशि हिमाचल ---------- के प्रयोजन/उद्देश्य के लिए उपयोग की गई है जिसके लिए यह स्वीकृति की गई थी तथा शेष ---------- रुपये की वर्ष के अन्त तक उपयोग न की गई राशि का सरकार को पत्र संख्या ---------- के द्वारा अभ्यपर्ण किया गया है जो कि आगामी ---------- वर्ष ---------- में दी जाने वाली सहायता अनुदान में समायोजित की जायेगी ।

स्थान ---------- हस्ताक्षर ----------

तिथि ----------

संस्थाध्यक्ष ----------

प्रमाणित किया जाता है कि मैं इससे संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायतानुदान स्वीकृत किया गया था, पूर्ण की गई हैं/ पूर्ण की जा रही हैं तथा धन का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था ।

(.....)नाम
कनिष्ठ अभियंता, विकास खण्ड

(.....)नाम
खण्ड विकास अधिकारी
मोहर सहित

प्रतिहस्ताक्षरित

(.....)नाम
उपायुक्त जिला.....
मोहर सहित

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश

आहरण एवं वितरण अधिकारी,

के हस्ताक्षर व पदनाम

प्रतिहस्ताक्षर विभागाध्यक्ष

अनुदान सम्बन्धी वचन/शपथ पत्र

(एकमुश्त अनुदान के प्रकरण)

भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश– शिमला–171009 द्वारा जो..... (धार्मिक संस्थान का नाम) (गांव.....पंचायत..... डाकघर..... उपतहसील.....तहसील.....उपमण्डल.....जिला.....) की सरायं / दुकान/ .....(कार्य का नाम) बनाने के लिए रुपये...../– (रुपये.....मात्र) की राशि स्वीकृत की गई है इस सहायतानुदान के सम्बध में, मैं .....सपुत्र श्री..... गांव.....परगना/फाटी.....डाकघर.....पंचायत..... तहसील.....उपमण्डल.....जिला.....वचन देता हूं/शपथ लेता हूं /प्रमाणित करता हूं कि:–

1. सरकार द्वारा जो उपरोक्त धनराशि इस धार्मिक संस्थान/स्मारक के लिए स्वीकृत की गई है और जो कुल धनराशि इस प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर व्यय होगी, उसका शेष, संस्था/आवेदक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
2. आवेदक/संस्था किसी भी भ्रष्ट कार्यकलाप से सम्बंधित नहीं है।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृती की तिथि से एक वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा।
4. प्रस्तावित संरचना का निर्माण कार्य, प्राक्कलन में अनुमोदित मदों के आधार पर ही निष्पादित किया जाएगा।
5. यह कार्य खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता की देख–रेख व निर्देशन में होगा। इसमें मुझे अथवा संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। उनके निर्देशों की अनुपालना की जाएगी।
6. यदि किसी कारणवश अनुदान राशि का उपयोग नहीं हो पाता है या इस राशि में से कुछ राशि बच जाती है तो उसे तुरन्त ही सरकार को लौटा दिया जाएगा।
7. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का धार्मिक संस्थान/स्मारक के प्रत्येक भाग में प्रवेश मान्य होगा।
8. निर्माण कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
9. धार्मिक संस्थान/स्मारक किसी व्यक्ति/व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं है।
10. निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक मास के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र (लेखा परीक्षा रिपोर्ट/व्यय विवरण सहित) विभाग को भिजवा दिया जाएगा।
11. मुरम्मत/निर्माण कार्य में स्मारक/धार्मिक संस्थान के भवन के किसी भी भाग पर रंग रोगन/सफेदी /डिस्टैम्पर या आधुनिक फिनिश नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी रासायन/आधुनिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा जिससे कि भवन का रंग/मूल स्वरूप बदले या उसे किसी प्रकार से प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से उसकी पुरामहत्ता को कोई क्षति पहुंचे।
12. मैंने इस कार्य के लिए किसी अन्य विभाग, संस्था या व्यक्ति से अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

या

मैंने इस कार्य के लिए .....विभाग, संस्था या व्यक्ति से रुपये .....का अनुदान प्राप्त किया है।

13. निहित भूमि जिसका आवेदक/संस्था मुआवजा ले चुकी है, अनुदान योजना के तहत गणना में नहीं ली गई है।

या

आवेदक/संस्था ने निहित भूमि मात्रा ..... के विभाग, संस्था या व्यक्ति से रुपये ..... का मुआवजा प्राप्त किया है।

14. प्रस्तावित निर्माण कार्य (सराय, दुकान अथवा पार्किंग या अन्य कोई निर्माण) के सन्दर्भ में सभी प्रकार की विभागीय तथा स्थानीय निकाय की स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करना संस्था/आवेदक की ही जिम्मेवारी समझी जाएगी। वांछित स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त न होने की स्थिति में संस्था/आवेदक को अनुदान राशि वर्तमान ब्याज सहित वापिस करनी होगी।

15. आवेदक संस्था सी0सी0टी0वी0 प्रणाली का सुचारू परिचालन तथा भविष्य में रख–रखाव तथा दुर्धटना होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग (जिला/पुलिस प्रशासन) को रिकार्डिंग उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगी।

16. भविष्य में राजस्व/वित्तीय/अन्य किसी भी प्रकार के विवाद/निराकरण के लिए आवेदक/संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

यदि मैं उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करता हूं तो अनुदान की सारी राशि, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज सहित, अविलम्ब लौटा दूंगा अन्यथा मैं इस राशि की भरपाई भू–राजस्व (Land Revenue) के रूप में वसूलने के लिए जिला समाहर्ता.....(जिला) को प्राधिकृत करता हूं।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक/अनुदानग्राही के हस्ताक्षर

पूर्ण नाम, पदनाम तथा मोहर सहित